समाचार

पी.ओ.पी. से बनी मूर्तियों को जप्त किया निगम ने

(मूर्ति निर्माण में अघुलनशील सामग्री का उपयोग है प्रतिबंधित, निगम ने चलाया विशेष अभियान)

कोरबा 08 सितम्बर 2015 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा आज प्लास्टर आफ पेरिस तथा अन्य अघुलनशील सामग्रियों से निर्मित मूर्तियों की जप्ती हेतु विशेष अभियान चलाया गया तथा विभिन्न स्थानों से 13 मूर्तियों को जप्त किया गया। निगम द्वारा आगे भी यह अभियान जारी रखा जाएगा, मूर्तिकारों को कड़ाई से निर्देश दिये गये हैं कि वे मूर्तियों के निर्माण में अघुलनशील सामग्री एवं प्लास्टर आफ पेरिस का उपयोग कदापि न करें।

यहां उल्लेखनीय है कि विभिन्न त्यौहारों एवं पर्वो पर मूर्तिकारों द्वारा निर्मित की जाने वाली मूर्तियों के निर्माण में अघुलनशील सामग्री एवं प्लास्टर आफ पेरिस जैसी सामग्रियों का उपयोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तथा पर्यावरण संरक्षण व जल प्रदूषण रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मूर्तियों की ऊंचाई का निर्धारण किये जाने के साथ–साथ मूर्ति निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी, सामग्री एवं रंगों के प्रयोग के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है, इन निर्देशों का पालन अनिवार्य है। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा आज निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में विशेष अभियान चलाया गया तथा मूर्तिकारों के ठिकानों पर निगम अमले ने पहुंचकर वहां निर्मित की गई मूर्तियों का परीक्षण किया। निगम अमले ने दर्री, जमनीपाली आदि क्षेत्रों में पहुंचकर मूर्तियों का परीक्षण किया तथा इस दौरान अघुलनशील सामग्री व प्लास्टर आफ पेरिस से निर्मित की गई 13 नग मूर्तियों को जप्त करने के साथ ही मूर्तिकारों को कड़े निर्देश दिये कि वे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश एवं दिये गये दिशा निर्देश का पूर्ण रूप से पालन करें तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप मूर्तियों के निर्माण में सामग्री आदि का उपयोग सुनिश्चित करें। निगम ने कहा है कि यह अभियान सतत रूप से जारी रहेगा तथा निर्धारित मानकों से हटकर मूर्ति निर्माण किये जाने पर मूर्तियों की जप्ती तथा नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही निगम द्वारा की जाएगी। चलाए गए इस विशेष अभियान में निगम के राजस्व अधिकारी श्रीधर बनाफर, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक डॉ. संजय तिवारी, राजस्व अधिकारी अशोक बनाफर, मनीष मिश्रा, परमानंद राठौर आदि के साथ दस्ते के अन्य कर्मचारीगण शामिल थे।

राजीव नगर में हटाया गया अतिक्रमण– निगम के दर्री जोनांतर्गत आने वाले राजीव नगर बस्ती में अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था। निगम के अतिक्रमण दस्ता प्रभारी श्रीधर बनाफर की अगुवाई में निगम के अतिक्रमणदस्ते ने वहां पर पहुंचकर उक्त अवैध निर्माण को हटा दिया। निगम द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण आदि कार्यो से दूर रहे तथा निगम द्वारा की जाने वाली अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही आदि से होने वाली असुविधा से बचे।

संपादकव्यूरोचीफ......................................
कृपया प्रकाशनार्थ सादर संप्रेषित

(रावेन्द्र सिंह)
सहायक जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)